भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2591
दिनांक 09 जुलाई, 2019 को उत्तर देने के लिए

प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना

2591. श्री अजय कुमार मंडल:
डॉ. निशिकांत दुबेः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) को किसानों के लाभ के लिए प्रारंभ किया गया था;

(ख) यदि हां, तो योजना के प्रारंभ होने से बिहार और झारखण्ड सहित राज्य-वार किसान किस स्तर तक लाभान्वित हुए हैं;

(ग) क्या पीएमकेएसवाई से अधिक रोजगार सृजित करने में मदद मिलेगी; और

(घ) यदि हां, तो निर्धारित लक्ष्यों और उपलब्धियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): केंद्रीय क्षेत्र स्कीम – प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) को संपूर्ण खाद्य प्रसंस्करण मूल्य श्रृंखला अर्थात खेत से लेकर खुदरा बिक्री केंद्र तक दक्ष आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का सृजन करने के उद्देश्य से एक व्यापक पैकेज के रूप में शुरू किया गया था । पीएमकेएसवाई देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की वृद्धि में तीव्र गति प्रदान करती है जिससे खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों द्वारा कच्ची सामग्री के रूप में कृषि उपज की अभिवृद्ध मांग के कारण वह किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने में सहायता करती है । इस प्रकार यह विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में भारी मात्रा में रोजगार सृजन, कृषि उपज की बर्बादी में कमी लाने तथा प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ाने के अतिरिक्त किसानों की आय को दुगुना करने की दिशा में एक बड़ा कदम है । पीएमकेएसवाई से वर्ष 2019-20 तक देश में 31,400 करोड़ रुपए का निवेश लेवरेज होने, 1,04,125 करोड़ रुपए मूल्य के 334 लाख मीट्रिक टन कृषि उपज के संचलन, 20 लाख किसानों को लाभ पहुँचने और 5,30,500 प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की आशा है । पीएमकेएसवाई के प्रभाव के बारे में अभी कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है ।

*****